APP-A
Crim-I

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : **उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा** मुकाम : बांसवाड़ा(राज.)

वादी बनाम प्रतिवादी

कैरेंग S/o स्व मानीया जाति भील नि० भगतपुरा — श्री रंगजी S/o रामला जाति भील नि० भगतपुरा

किस्म मुकदमा : 53, 88, प्रकरण संख्या 11/4/2014

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2/5/14	पत्रावली बाद जॉच दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। वादी श्री कैरेंग पिता श्री स्व मानीया निवासी भगतपुरा द्वारा एक वाद–पत्र अंतर्गत धारा 53, 188 के तहत प्रतिवादी श्री रंगजी पिता श्री रामला निवासी भगतपुरा के विरूद्ध प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी के नाम सम्मन जारी कर पत्रावली दिनांक 28/5/14 को पेश हो । उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा	
28/5/14	पत्रावली पेश हुई वादी के वकील उपस्थित प्रतिवादी के विरुद्ध मेहता ने प्रतिवादी सहित [illegible] से [illegible] पेश [illegible] भी तामील नहीं [illegible] एवं जवाब हेतु पत्रावली 28/5/14 को पेश हो.	
	पत्रावली पेश हुई वादी के वकील एवं प्रतिवादी के वकील उपस्थित [illegible] अवकाश पर होने से पत्रावली [illegible] को पेश हो	

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 14:41:51 IST
Reason: SelfAttested

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6/14	पत्रावली पेश हुयी। अभिभाषक उभय पक्ष उप.। प्रार्थना-पत्र O22R3,5, O22R4, Sec-5 म्याद अधि० व जवाब व बहस पर गौर करने के उपरान्त उक्त प्रार्थना-पत्रों अस्वीकार किए जाते है साथ वाद नहीं abate किया जाता है. निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रा. है। पत्रावली फैसल प्रथम है। नत्थी होकर नम्बर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय को खुलेआम सुनाया गया। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा (राज.)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 14:41:51 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय बइजलास प्रकाश चन्द्र रेगर (RAS) उपखण्ड अधिकारी- बाँसवाड़ा

दायर तारीख - 04.02.14

प्रकरण सं.- 11/2014

उनवान

केरेंग पिता स्व. नानिया जाति भील नि. भगतपुरा (वादी)

बनाम

रंगजी पिता श्री रामला जाति भील नि. भगतपुरा व अन्य (प्रतिवादीगण)

उपस्थित :- 1. श्री राजकुमार जैन - अधिवक्ता वादी

2. " निलेश मेहता - अधिवक्ता प्रतिवादी

= प्रार्थना पत्र - अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3, 4, एवं 9 सी.पी.सी =

एवं

-: म्याद अधिनियम धारा - 5 :-

-: निर्णय :- दिनाँक -

संक्षेप में प्रार्थना-पत्र O22R 3, 9 के तथ्य इस प्रकार है कि वादी स्व. नानीया के पुत्र श्री केरेंग नि. भगतपुरा की मृत्यु दिनाँक 14.5.2015 को हो गयी जिसके विधिक वारिसान प्रा.पत्र की चरण सं.-1 में अंकित है। वादी के उत्तराधिकारियों को वाद पेश करने की जानकारी नहीं होने से प्राप्त जानकारी बाद 02.2.2018 को होने पर प्रार्थना-पत्र 90 दिन की अवधि गुजर जाने के बाद विधिक पक्षकार बनने हेतु पेश करते है। अवधि पार हो जाने के कारण विलम्ब अवधि कण्डोन किये जाने हेतु प्रार्थना-पत्र धारा-5 म्याद अधिनियम पेश है।

अतः विलम्ब माफी प्रदान करते हुये प्रार्थना-पत्र O22R3,9 cont....

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 14:41:51 IST
Reason: SelfAttested

स्वीकार कर विधिक वारिसान को अभिलेख पर लेने के आदेश फरमावें।

दूसरा प्रार्थना-पत्र वादी की ओर से अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 दूसरा प्रार्थना-पत्र वादी की ओर से अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 को पेश कर निवेदन किया कि हस्तगत सी.पी.सी. दिनांक 03-08-22 को पेश कर निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी सं. 2 हवजी उर्फ हगजी पिता रामला निवासी भगतपुरा की मृत्यु 02-08-2016 को हो चुकी है। जिसके विधिक वारिसान चरण सं. 1 में अंकित है। वादी को प्रतिवादी सं. 2 की मृत्यु की जानकारी 25.7.22 को हुयी। विलम्ब माफी हेतु प्रार्थना-पत्र धारा-5 म्याद अधिनियम पेश है।

अतः निवेदन है कि विलम्ब माफी प्रदान कर प्रार्थना पत्र O22R4 स्वीकार कर प्र.वा. 2 के विधिक वारिसान को अभिलेख पर लिये जावें।

उक्त प्रार्थना-पत्र में से प्रथम प्रार्थना-पत्र O22R3,9 का जवाब अधिवक्ता प्रतिवादी ने प्रस्तुत नहीं किया, सीधे ही बहस की तथा प्रा० पत्र O22R4 का जवाब पेश किया जो शा० मिसल है।

उक्त प्रार्थना-पत्रों पर बहस उभयपक्षकारान् सुनी गयी।

हमने प्रार्थना-पत्रों, जवाब प्रार्थना-पत्रों का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर अवलोकन किया तथा मनन बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान् पर किया।

प्रतिवादी सं. 8 की ओर से अधिवक्ता श्री निलेश मेहता ने वकालतनामा 28/2/2011 को पेश कर दिया था। विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा वादी की मृत्यु 25.1.16 को हो जाने पर प्रार्थना-पत्र O22R3,9 दिनांक 3-3-18 को 2 वर्ष 6 माह बाद पेश किया जिसकी प्रति अधि० प्रतिवादी को भी नहीं दी गयी। प्रति सं. 2 व 4 की मृत्यु की सूचना तलबी रिपोर्ट में ही प्राप्त हो जाने पर भी प्रार्थना-पत्र O... 3-8-22

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 14:41:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

contd...

को पेश किया। मृत्यु प्रमाण-पत्र में हवली की मृत्यु 02-8-16 को होना अंकित है। जिसके कायम वारिसान का प्रार्थना-पत्र 6 वर्ष पश्चात संस्थित किया गया। जबकि प्रतिवादी सं- 4 की मृत्यु 07-07-20 को हो जाने पर भी कायम वारिसान का प्रार्थना-पत्र 2 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी पेश नहीं किया गया।

अधि० वादी ने विलम्ब माफी चाही है। अधिवक्ता प्रतिवादी सं- 8 निवेदन किया कि म्याद अवधि पार हो जाने माफी योग्य नहीं है अतः प्रार्थना-पत्रों को अस्वीकार दावा खारिज फरमावें।

उक्त विवेचना से स्पष्ट है कि वादी की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत कायम वारिसान मय प्रार्थना-पत्र म्याद अधिनियम धारा-5 अधिक विलम्ब से प्रस्तुत किये गये है जो काबिले विलम्ब माफी नहीं है।

परिसीमा अधिनियम-1963 की धारा-120 में स्पष्ट उल्लेख है कि "किसी मृत वादी या अपीलार्थी के या मृत प्रतिवादी या प्रत्यर्थी के विधिक प्रतिनिधि को सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन पक्षकार बनवाने के लिए "90 दिन" यथा स्थिति वादी, अपीलार्थी, प्रतिवादी या प्रत्यर्थी की मृत्यु की तारीख।"

अतः प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा-5 एवं तदनुसार प्रार्थना-पत्र बाबत कायम वारिसान अस्वीकार कर खारिज किये जाते है।

फलतः वाद वादी [illegible] खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो [illegible] कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)
पीठासीन अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 14:41:52 IST
Reason: SelfAttested